

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.स.(नि.)विविध-15-04/2014 (खण्ड):- /राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री विद्याभूषण चौधरी (आई. डी.- J 8120) सहायक अभियंता, अनुमण्डल पदमा (लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग) को विभागीय अधिसूचना सं. 7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा अवर प्रमण्डल सं.-4 (जसीडीह सिंचाई प्रमण्डल जसीडीह) में पदस्थापित किया गया था। श्री चौधरी द्वारा सरकारी/ स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2716 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2. श्री चौधरी से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री चौधरी को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1736

राँची, दिनांक:- 10-4-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग/श्री विद्याभूषण चौधरी, प्राक्कलन पदाधिकारी, जल पथ अंचल, हजारीबाग/ विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.4.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।
10.4.15